65/18 अजीज मो. v/s सुरदेव

व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-779	31-7-19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उप०। प्रा०पत्र के संबंध में तर्क सुने गये प्रकार से है। प्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र अन्तर्गत O 9 R 9 CPC के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के दि. 26-2-18 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 21-2-18 को प्रार्थी के अधिवक्ता प्र० सं. 78/02 व प्र० व प्र० सं. 6/17 प्रा.पत्र के लगातार [illegible] न्यायालय श्रीमान [illegible] में उप० हुये तो जाहिर आया कि विपक्षीगण के अधिवक्ता किसी पारिवारिक कारण से उप० नहीं होंगे इस कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होगी। उपरोक्त 2 प्रकरणों में अधिवक्ता की उप० दर्ज की गई है जबकि प्र० सं. 65/05 दि० 21-2-18 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जबकि आलोच्य आदेश दि. 21-2-18 को न्यायहित में अपास्त किया जाना न्याय संगत होगा। [illegible] प्रार्थी पक्ष न्याय से वंचित रहेगा। प्रा.पत्र के समर्थन में अधिवक्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत है अतः आदेश दि० 21-2-18 को अपास्त फरमाते हुये प्र० सं. 65/05 प्रा.पत्र अजीज मो० बनाम सुरदेव को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रकरण पेशी बदलकर विपक्षीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई।	

[illegible] अधिकारी [illegible]
सहायक कलेक्टर
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
	अभिभाषक विपक्षीगण ने दि० 18-9-18 को बताया कि जवाब प्रस्तुत नहीं कर सिर्फ बहस करना चाहते हैं जिससे उनकी बहस दि० 22-7-19 को सुनी गई। बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। न्याय हित में आवेदक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 CPC स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र० सं. 65/05 निर्णित दि. 21-2-18 [illegible] बनाम [illegible] को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल वाद के साथ तारीख पेशी नियत की जावे प्रा. पत्र 65/18, 65/05 [illegible] प्रा. पत्र के संलग्न किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible] (भीलवाड़ा)	

[illegible]